



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



संख्या- 1730 / भा.विवि / कुसका / 2025

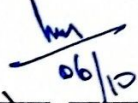
दिनांक : 06 अक्टूबर, 2025

अवकाश सूचना

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की विज्ञप्ति दिनांक 04 अक्टूबर 2025 के क्रम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, अर्थात् छात्र/छात्रायें हेतु अवकाश रहेगा।

साथ ही अवगत हैं कि विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षान्त समारोह दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित होना सुनिश्चित है, जिसमें अत्यन्त अल्पसमय बचा है तथा वृहद स्तर पर तैयारियां की जानी हैं।

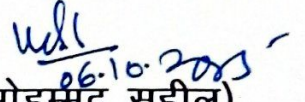
अतः माननीय कुलपति जी की ओर से मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालय सामान्य दिवसों की भांति खुला रहेगा तथा समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर दीक्षान्त की तैयारियों करेंगे।


(डॉ० महेश कुमार)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण।
5. कुलानुशासक।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपने संकाय/विभाग के शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार पाठ्यक्रम/विषय के छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सहायक आचार्य (अस्थायी)।
9. समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी


(मोहम्मद सहील)
उप कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक 04 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-870/3-2024-39(2)-2016 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 द्वारा वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है जिसके प्रस्तर-2 (II) निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 25 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है।

2- इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश निगोशिएबुल इन्सट्रुमेंट ऐक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा।

3- विज्ञप्ति दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को तदनुसार संशोधित समझा जाय।

Digitally signed by

(ALOK KUMAR

04/10/2025

12:03:00

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
- 6- महालेखाकार, 30प्र0 प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, 30प्र0।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बडौदा, आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, 30प्र0 एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
- 14- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
- 15- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 400 प्रतियां सामान्य प्रशासन अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु।
- 16- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (30प्र0 राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की 'वेबसाइट' पर डालने हेतु।
- 17- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 18- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ZUHAIR BIN SAGHIR

Date: 04-10-2025

13:43:24

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव